

साहेब राय उर्फ साहेब राय

बनाम

कामेश्वर राय एवं अन्य

2023 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 272

22 मई, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या सी.पी.सी. की धारा 10 के अंतर्गत, जब पूर्ववर्ती वाद में संपत्ति के शीर्षक का विवाद लंबित हो, उस स्थिति में पश्चात स्थापित विभाजन वाद को स्थगित किया जा सकता है?

हेडनोट्स

वाद संख्या 562/2020 में विवाद का विषय वस्तुतः वही है जो वाद संख्या 367/2017 में था, और वाद संख्या 367/2017 में लिया गया निर्णय, वादित संपत्ति पर स्वत्व घोषणा के संबंध में *रेस जुडीकेटा* (res judicata) के रूप में प्रभावी होगा। — यदि प्रतिवादी / याचिकाकर्ता अपने स्वत्व को सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं, तो वादीगण / प्रतिवादियों के लिए बाद की वाद प्रक्रिया को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। (पैरा 7) याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा 9)

न्याय दृष्टान्त

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बनाम सी. परमेश्वर, AIR 2005 SC 242; अस्पी जल एवं अन्य बनाम खुशरू रुस्तम डाडीबुर्जोर, (2013) 4 SCC 333

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

धारा 10 सी.पी.सी.; वाद स्थगन; रेस जुडिकाटा; विषय विवाद की समानता; विभाजन वाद; शीर्षक व; समवर्ती अधिकार क्षेत्र; न्यायिक अनुशासन

प्रकरण से उत्पन्न

शीर्षक वाद संख्या 562 / 2020

न्यायालय : सब-जज प्रथम, सिवान, छपरा

आदेश दिनांक : 24.11.2022

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री नागेन्द्र राय, अधिवक्ता; श्री नवीन निकुंज, अधिवक्ता; श्री कौशलेन्द्र राय, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री अरुण कुमार राय, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 272

=====

साहेब राय उर्फ साहेब राय, पिता- स्वर्गीय दीना नाथ राय, निवासी- ग्राम एवं
डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. कामेश्वर राय, पिता- स्वर्गीय नगीना राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा,
थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।

2. रामेश्वर राय, पिता- स्वर्गीय नगीना राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 3.1. मैनेजर राय, पिता- स्वर्गीय अशर्फी राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 3.2. मन्द्रिका राय, पिता- स्वर्गीय अशर्फी राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 3.3. विधवा सीता देवी, पति- स्वर्गीय चंदेश्वर राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 3.4. राजन कुमार, पिता- स्वर्गीय चंदेश्वर राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 3.5. नेहा कुमारी, पिता- स्वर्गीय चंदेश्वर राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 3.6. रेखा देवी, पिता- स्वर्गीय चंदेश्वर राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
4. भोला राय, पिता- स्वर्गीय कैलाश राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
5. गोरख राय, पिता- स्वर्गीय कैलाश राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
6. वकील राय, पिता- स्वर्गीय कैलाश राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
7. बबन राय, पिता- स्वर्गीय बैजनाथ राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।

8. राम बाबू राय, पिता- स्वर्गीय बैजनाथ राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
9. जगर नाथ राय, पिता- स्वर्गीय बुद्धू राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 10.1. संतोष राय, पिता- स्वर्गीय रामनाथ राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 10.2. धर्मेन्द्र राय, पिता- स्वर्गीय रामनाथ राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 10.3. जीतेन्द्र राय, पिता- स्वर्गीय रामनाथ राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 10.4. विशाल राय, पिता- स्वर्गीय रामनाथ राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 10.5. उषा देवी, पिता- स्वर्गीय रामनाथ राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
- 10.6. पुष्पा देवी, पिता- स्वर्गीय रामनाथ राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।
11. शिव नाथ राय, पिता- स्वर्गीय बुद्धू राय, निवासी- ग्राम एवं डाकघर- तेजपुरवा, थाना- मढ़ौरा, जिला-सारण ।

... ... प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री नागेंद्र राय, अधिवक्ता

: श्री नवीन निकुंज, अधिवक्ता

: श्री कोशलेंद्र राय, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री अरुण कुमार राय, अधिवक्ता

=====

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 22-05-2025

तत्काल सिविल विविध याचिका शीर्षक वाद संख्या 562/2020 में छपरा में विद्वान उप न्यायाधीश-1, सारण द्वारा पारित दिनांक 24.11.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जहां प्रतिवादी द्वारा धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के तहत दिनांक 07.01.2022 को आवेदन दायर किया गया है, जिसमें शीर्षक वाद संख्या 562/2020 में कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई है, को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में कहा जाए, तो मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता शीर्षक वाद संख्या 562/2020 का प्रतिवादी है और प्रतिवादी वादी हैं। प्रतिवादियों ने यह घोषणा करने के लिए शीर्षक वाद दायर किया है कि पत्र संख्या 550 के तहत प्लॉट संख्या 2551 में, मौजा- तालपुरैना, पुलिस थाना- मरहौरा, जिला- सारण, वादी संख्या 1 और 2 को $1/3$ हिस्सा मिला है, वादी संख्या 3 से 11 के पास $1/3$ हिस्सा है और प्रतिवादी के पास $1/3$ हिस्सा है और उसी गांव के पत्र संख्या 664 के तहत प्लॉट संख्या 2528 में वादी संख्या 1 और 3 को $9 \frac{1}{3}$ कट्ठा, वादी संख्या 3 से 11 को $9 \frac{1}{3}$ कट्ठा और प्रतिवादी को $2 \frac{1}{3}$ कट्ठा मिला है। आगे यह घोषणा मांगी गई है कि टाइटल सूट संख्या 191/2018 में पारित क्रमशः दिनांक 18.11.2019 और 29.11.2019 के निर्णय और डिक्री वादी पर बाध्यकारी नहीं थे। शिकायत से, ऐसा प्रतीत होता है कि बद्री राउत नामक व्यक्ति दोनों पक्षों का एक ही पूर्वज था, जिसकी

मृत्यु उनके पीछे 3 बेटे सखी, लखी और सेवक छोड़ कर हुई थी। प्रतिवादी सखी राउत के वंशज हैं, जबकि वादी कामेश्वर राय और रामेश्वर राय सेवक राउत के वंशज हैं और अन्य वादी लखी राउत के वंशज हैं। वर्ष 1971 में तीनों शाखाओं में 1/3 हिस्से का बंटवारा हुआ और शाखाओं ने अपनी जमीन अलग-अलग और कुछ संपत्ति संयुक्त रूप से खेती करना शुरू कर दिया। लेकिन मीटर और बाउंड्री द्वारा कोई बंटवारा नहीं हुआ। चूंकि पूर्वजों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए जब प्रतिवादी साहेब राय ने बिना बंटवारे के संपत्ति बेचना शुरू किया, तो वादी संख्या 1 और 2 ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए विद्वान उप न्यायाधीश, सारण के समक्ष बंटवारे का वाद लाया, जिसका शीर्षक बंटवारा वाद संख्या 65/2006 था और विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में फैसला सुनाया। जब खेसरा संख्या 2528 और 2551 की जमीन मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित की जानी थी, तो प्रतिवादी साहेब राय ने अंचल अधिकारी से भूमि कब्जा प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन अंचल अधिकारी ने कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। इसके बाद, अपीलीय प्राधिकार ने भी प्रतिवादी के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया और कहा कि प्रतिवादी सक्षम न्यायालय के समक्ष मामला दायर कर सकता है। इसके बाद, प्रतिवादी साहेब राय ने प्लॉट संख्या 1551, खाता संख्या 599 और प्लॉट संख्या 2528, खाता संख्या 664 की 8 कट्ठा 5 धूर जमीन को टाइटल सूट संख्या 367/2017 के तहत घोषित करने के लिए वाद दायर किया। इसके बाद, वादीगण को 01.10.2020 को पता चला कि प्रतिवादी ने जाली कागजात का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है। वादीगण को यह भी पता चला कि प्रतिवादी ने वादीगण को पक्षकार बनाए बिना प्लॉट संख्या 2528 और 2551 के संबंध में टाइटल सूट संख्या 191/2018 के तहत वाद दायर कर अपने पक्ष में एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली है। इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, टाइटल सूट

संख्या 562/2020 संस्थित किया गया है। प्रतिवादी ने मुकदमे में उपस्थित होकर अपना लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें वादीगण द्वारा प्लॉट संख्या 2528 और 2551 के संयुक्त परिवार द्वारा अधिग्रहण के दावे को नकारा गया और 1971 में बंदी राउत की तीन शाखाओं के बीच विभाजन की दलील को भी नकारा गया। प्रतिवादी ने दलील दी कि 1940 के ज्येष्ठ में बंदी राउत के तीन बेटों के बीच विभाजन हुआ था और सभी पूर्वजों/खतियानी संपत्ति को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रतिवादी ने प्लॉट संख्या 2528 और 2551 पर अनन्य अधिकार के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने आगे यह बचाव किया कि राज्य के खिलाफ टाइटल सूट संख्या 191/2018 दायर किया गया था क्योंकि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में राज्य भूमि पर अपना दावा कर रहा था। इसके बाद, प्रतिवादी/याचिकाकर्ता ने 01.07.2022 को संहिता की धारा 10 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि विवाद का विषय और मुकदमे में प्रार्थना, 2017 के शीर्षक मुकदमे संख्या 367 के समान/मूल रूप से समान हैं। प्रतिवादी/याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि राहतें मूल रूप से समान हैं, जिनमें मूल रूप से एक ही मुद्दे पर निर्णय शामिल है। इस प्रकार, संहिता की धारा 10 के तहत बाद के मुकदमे, यानी 2020 के शीर्षक मुकदमे संख्या 562 पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना की गई। वादी/प्रतिवादियों ने 10.02.2022 को उक्त याचिका पर प्रतिउत्तर दायर किया, जिसमें टाइटल सूट संख्या 565/2020 पर रोक लगाने की प्रार्थना का विरोध किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुना और दिनांक 24.11.2022 के आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया और उक्त आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है।

3. प्रतिवादी/याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश कानून की दृष्टि से गलत और अस्थिर है। यह न्यायालय द्वारा पारित एक विकृत आदेश है, जो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है।

विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपित आदेश पारित करने में भौतिक अवैधता के साथ काम किया है। आरोपित आदेश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से स्पष्ट है कि इसमें पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है कि दोनों मुकदमों की संपत्ति और पक्षकार एक ही हैं और दोनों मुकदमों में पक्षकारों का स्वामित्व एक मुख्य मुद्दा है, फिर भी विवादित आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को गलत तरीके से पढ़कर रिकॉर्ड में त्रुटि की है, यह मानते हुए कि संहिता की धारा 10 वाद के मुकदमे के निपटारे तक पहले के मुकदमे को रोकने के लिए नहीं है, क्योंकि पहले के मुकदमे के निपटारे तक वाद के मुकदमे को रोकने के लिए प्रार्थना की गई थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि मुद्दे अलग-अलग हैं और इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दलीलों को गलत तरीके से समझा है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि दोनों मुकदमों में मुद्दे में मामला सीधे और काफी हद तक एक ही है। विद्वान विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 10 के कसौटी को लागू नहीं किया कि पहले के मुकदमे में डिक्री वाद के मुकदमे के लिए *न्यायिक* होगी या नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी/याचिकाकर्ता द्वारा प्लॉट संख्या 2528 और 2551 की भूमि पर अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए पिछला मुकदमा दायर किया गया था। प्रतिवादी मुकदमे में उपस्थित हुए और अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सभी 3 शाखाओं के पास मुकदमे की संपत्ति में 1/3 हिस्सा है। इसलिए उसी संपत्ति के विभाजन की मांग करते हुए एक और मुकदमा लाना और शीर्षक मुकदमा संख्या 191/2018 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ घोषणा की मांग करना दर्शाता है कि दोनों मुकदमों में मुद्दा मूल रूप से एक ही है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के लिए यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि दोनों मुकदमों में

शामिल मुद्दे समान नहीं हैं और इसने गलत निष्कर्ष दर्ज किया कि संहिता की धारा 10 लागू नहीं थी। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

4. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है और इस कारण से, आरोपित आदेश को इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वादी/प्रतिवादी समझौते के आधार पर मुकदमे की भूमि पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं और उन्होंने 18.11.2019 के निर्णय और 29.11.2019 के आदेश को इस आधार पर रद्द करने की भी मांग की कि प्रतिवादी/याचिकाकर्ता ने वादी/प्रतिवादियों को पक्षकार बनाए बिना धोखाधड़ी से उपरोक्त निर्णय प्राप्त किया है। लेकिन प्रतिवादी/याचिकाकर्ता विनिमय के आधार पर मुकदमे की भूमि पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है और इस प्रकार उसने 2017 का मुकदमा संख्या 367 दायर किया है। इस टाइटल सूट के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी/याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य के खिलाफ धोखाधड़ी से टाइटल सूट संख्या 191/2018 दायर किया और टाइटल सूट संख्या 367/2017 के तथ्यों को छिपाया और वादी/प्रतिवादियों को पक्षकार बनाए बिना धोखाधड़ी से निर्णय और डिक्री प्राप्त की। इसलिए, शीर्षक वाद संख्या 367/2017 और शीर्षक वाद संख्या 562/2020 के मुद्दे समान नहीं हैं। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि दोनों शीर्षक वादों में विषय वस्तु और पक्ष समान हैं, लेकिन संबंधित वाद दायर करने के लिए उनकी कार्रवाई का कारण अलग-अलग है और इस कारण से, शीर्षक वाद संख्या 562/2020 में संहिता की धारा 10 का कोई आवेदन नहीं हो सकता है। इसके अलावा, दोनों शीर्षक वादों में राहत अलग-अलग हैं। टाइटल सूट संख्या 562/2020 में, मुकदमे की भूमि के विभाजन और टाइटल सूट संख्या 191/2018 में पारित निर्णय और डिक्री को अलग रखने के लिए राहत मांगी

गई है, लेकिन टाइटल सूट संख्या 367/2017 में, मुकदमे की भूमि पर अधिकार और शीर्षक की घोषणा के लिए राहत मांगी गई है। इसलिए, दोनों मुकदमों में शामिल मुद्दे काफी अलग हैं और एक ही मुद्दे नहीं हैं। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों और कानून की उचित रूप से सराहना की है और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है। इसलिए, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी सबमिशन पर अपना विचारशील विचार दिया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। वर्तमान याचिका में शामिल मुद्दा एक संकीर्ण दायरे में आता है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या बाद के शीर्षक विभाजन वाद संख्या 562/2020 पर रोक लगाने की आवश्यकता है और क्या विद्वान विचारण न्यायालय को संहिता की धारा 10 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए शीर्षक वाद संख्या 367/2017 के लंबित होने के मद्देनजर मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। संहिता की धारा 10 में निम्नवत लिखा है:-

*“10. वाद का स्थगन-- कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें विवाद्यक मामला पहले से ही उन्हीं पक्षों के बीच संस्थित वाद में प्रत्यक्षतः और मूलतः विवाद्यक हो, या उन पक्षों के बीच जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक उसी शीर्षक के तहत मुकदमा करने का दावा करता हो, जहाँ ऐसा वाद उसी या किसी अन्य न्यायालय में लंबित हो जिसमें दावा की गई राहत प्रदान करने का अधिकार क्षेत्र हो, या भारत की सीमाओं से परे किसी न्यायालय में जो [केन्द्रीय सरकार [***] द्वारा स्थापित या जारी हो और जिसका ऐसा अधिकार क्षेत्र हो, या [सर्वोच्च न्यायालय] के समक्ष हो।*

स्पष्टीकरण – किसी विदेशी न्यायालय में वाद का लंबित होना भारत के न्यायालयों को उसी वाद हेतुक पर आधारित वाद की सुनवाई करने से नहीं रोकता।”

6. प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि विवादक मामला सीधे और मूल रूप से उन्हीं पक्षों के बीच पहले से संस्थित मुकदमे में या उन पक्षों के बीच है जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक उसी शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने का दावा करता है, जहां ऐसा मुकदमा सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में लंबित है, तो न्यायालय वाद के मुकदमे की सुनवाई के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। धारा 10 का उद्देश्य समवर्ती अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों को एक ही मामले के संबंध में दो समानांतर मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने से रोकना है। इसका उद्देश्य उन मुद्दों पर परस्पर विरोधी निष्कर्षों को दर्ज करने से बचना है जो पहले से संस्थित मुकदमे में सीधे और मूल रूप से मुद्दा हैं। धारा 10 को आकर्षित करने के लिए मौलिक परीक्षण यह है कि क्या पिछले मुकदमे में अंतिम निर्णय आने के बाद, ऐसा निर्णय बाद के मुकदमे में न्यायिक निर्णय के रूप में काम करेगा। संहिता की धारा 10 केवल उस स्थिति में लागू होगी जहां दोनों मुकदमों में संपूर्ण विषय वस्तु समान है। दूसरे शब्दों में, विवादित मामला प्रत्यक्ष रूप से और मूल रूप से पहले से संस्थित मुकदमे में विवादित है और विवादित मामला संयोगवश या संपार्श्विक रूप से वाद के मुकदमे में विवादित नहीं हो सकता है। इस प्रकार, संहिता की धारा 10 तभी लागू होगी जब दोनों मुकदमों में विवादित मामले की समानता हो, जिसका अर्थ है कि दोनों मुकदमों में संपूर्ण विषय वस्तु समान है। दूसरे शब्दों में, दोनों कार्यवाहियों में संपूर्ण विषय वस्तु समान है। इस संबंध में *एआईआर 2005 एससी 242* में रिपोर्ट किए गए *राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम सी परमेश्वर* के मामले

पर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अस्पी जल एवं अन्य बनाम खुशरू रुस्तम दादयबुर्जोर* के मामले में *राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम सी. परमेश्वर* (उपरोक्त) पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट (2013) 4 एससीसी 333 में दी गई थी और पैराग्राफ 9 और 10 में निम्नांकित निर्णय दिया:-

“9. संहिता की धारा 10 जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

“10. *मुकदमे का स्थगन*.- कोई भी न्यायालय ऐसे मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें मुद्दा सीधे और मूल रूप से उसी पक्षकारों के बीच पहले से ही दर्ज मुकदमे में मुद्दा हो, या उन पक्षों के बीच जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक उसी शीर्षक के तहत मुकदमा कर रहा हो, जहां ऐसा मुकदमा उसी या भारत में किसी अन्य न्यायालय में लंबित हो, जिसके पास दावा की गई राहत देने का अधिकार क्षेत्र हो, या भारत की सीमाओं से परे किसी न्यायालय में, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या जारी हो और जिसका अधिकार क्षेत्र समान हो, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।

स्पष्टीकरण.- किसी विदेशी न्यायालय में किसी मुकदमे के लंबित रहने से भारत के न्यायालयों को उसी कारण से मुकदमे की सुनवाई करने से रोका नहीं जा सकता।

उपर्युक्त प्रावधान को सरलता से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जहां कोई वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाता है जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं, वहां वह किसी अन्य वाद की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें मुद्दागत मामला भी उसी पक्षकारों के बीच पहले से संस्थित किसी वाद में प्रत्यक्षतः और मूलतः मुद्दागत है। संहिता की धारा 10 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, यह भी आवश्यक है कि जिस न्यायालय में पिछला वाद लंबित है वह दावा की गई राहत प्रदान करने में सक्षम हो। धारा 10 में नकारात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग, अर्थात् “कोई भी न्यायालय किसी वाद की सुनवाई नहीं करेगा” प्रावधान को अनिवार्य बनाता है और जिस न्यायालय में बाद का वाद दायर किया गया है उसे उस वाद की सुनवाई आगे बढ़ाने से प्रतिबंधित किया जाता है यदि संहिता की धारा 10 में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं। संहिता की धारा 10 का मूल उद्देश्य और अंतर्निहित उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार के न्यायालयों को एक साथ विचार करने से रोकना है। और एक ही कारण, एक ही विषय-वस्तु और एक ही राहत के संबंध में दो समानांतर मुकदमों पर निर्णय लेना। इसका उद्देश्य वादी को एक मुकदमे में बांधना है ताकि एक ही राहत के संबंध में दो अदालतों द्वारा विरोधाभासी फैसले की संभावना से बचा जा सके और इसका उद्देश्य प्रतिवादी को कार्यवाही की बहुलता से बचाना है।

10. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम सी.

परमेश्वर में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन मिलता है, जिसमें इसे इस प्रकार माना गया है:

“8. धारा 10 का उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार की अदालतों को एक ही मुद्दे के संबंध में दो समानांतर मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने से रोकना है। धारा 10 का उद्देश्य दो अदालतों द्वारा एक ही मुद्दे पर दो समानांतर सुनवाई से बचना है और उन मुद्दों पर परस्पर विरोधी निष्कर्षों को दर्ज करने से बचना है जो पहले से शुरू किए गए मुकदमे में सीधे और काफी हद तक मुद्दे में हैं। धारा 10 की भाषा से पता चलता है कि यह सिविल न्यायालय में संस्थित वाद के लिए संदर्भित है और यह किसी अन्य कानून के तहत संस्थित अन्य प्रकृति की कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकती। धारा 10 का उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार वाली अदालतों को एक ही मामले के संबंध में एक ही पक्षकारों के बीच दो समानांतर वादों की एक साथ सुनवाई करने से रोकना है। धारा 10 को आकर्षित करने के लिए मौलिक परीक्षण यह है कि क्या पिछले वाद में अंतिम निर्णय पर पहुँचने पर, ऐसा निर्णय बाद के वाद में पुनर्न्यायिकता के रूप में कार्य करेगा। धारा 10 केवल उन मामलों में लागू होती है जहाँ दोनों वादों में संपूर्ण विषय-वस्तु समान है। धारा 10 में मुख्य शब्द हैं “विवादित मामला पिछले संस्थित वाद में प्रत्यक्ष रूप से

और मूल रूप से विवाद में है"। "प्रत्यक्ष रूप से और मूल रूप से विवाद में" शब्दों का प्रयोग "संयोगवश या संपार्थिक रूप से विवाद में" शब्दों के विपरीत किया जाता है। इसलिए, धारा 10 केवल तभी लागू होगी जब दोनों मुकदमों में मुद्दे में विषय की समानता हो, जिसका अर्थ है कि दोनों कार्यवाहियों में संपूर्ण विषय-वस्तु समान है।

7. मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि वाद की संपत्ति और पक्षकार एक ही हैं। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि क्या दोनों मुकदमों में मुद्दा सीधे और मूल रूप से एक जैसा है। टाइटल सूट नंबर 367/2017 में प्रतिवादी/याचिकाकर्ता ने मुकदमे के तथ्यों और अदालत द्वारा उचित और उचित समझी गई अन्य राहत के अलावा मुकदमे की संपत्ति पर अपने अधिकार और शीर्षक की घोषणा की राहत मांगी है। अब टाइटल सूट नंबर 562/2020 में, वादी/प्रतिवादियों द्वारा मांगी गई राहत वादी के 1/3 हिस्से की घोषणा के लिए है। इसके अलावा, राहत मांगी गई है कि टाइटल सूट नंबर 191/2018 का फैसला और डिक्री वादी/प्रतिवादियों पर बाध्यकारी नहीं थी। जब वादी/प्रतिवादी टाइटल सूट संख्या 367/2017 में उपस्थित हुए, तो उन्होंने अपना लिखित बयान दायर किया और अपने लिखित बयान में उन्होंने अपने टाइटल सूट संख्या 562/2020 के वाद में बाद में बताए गए तथ्यों का वर्णन किया और अपने लिखित बयान में उन्होंने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया और सूट की संपत्ति में पक्षों के 1/3 हिस्से के बारे में अपना दावा दोहराया। टाइटल सूट संख्या 562/2020 को उसी प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। जहाँ तक टाइटल सूट संख्या 191/2018 के निर्णय और

डिक्री के विरुद्ध राहत माँगने की बात है, यह टाइटल सूट संख्या 367/2017 में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा माँगी गई घोषणा पर निर्भर है। यदि प्रतिवादी/याचिकाकर्ता सफल होता है, तो वादी/प्रतिवादी मुकदमा दायर नहीं कर पाएँगे और टाइटल सूट संख्या 191/2018 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध उनका दावा विफल हो जाएगा। यदि प्रतिवादी/याचिकाकर्ता टाइटल सूट संख्या 367/2017 में अपना दावा साबित करने में सफल नहीं होता है, तो निहितार्थ रूप से, वादी/प्रतिवादियों का संपत्तियों के 1/3 हिस्से का दावा सही माना जाएगा। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि प्रत्येक विभाजन मुकदमे में पक्षकार के स्वामित्व की अंतर्निहित घोषणा होती है, यद्यपि, पक्षों के हिस्से की सीमा तक। इसलिए, मेरा यह सुविचारित मत है कि टाइटल सूट संख्या 562/2020 में मुद्दा मूलतः टाइटल सूट संख्या 367/2017 में समान है और टाइटल सूट संख्या 367/2017 में निर्णय, जहां तक सूट की संपत्ति के संबंध में शीर्षक की घोषणा का संबंध है, *न्यायिक निर्णय* के रूप में कार्य करेगा। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि यदि प्रतिवादी/याचिकाकर्ता अपना शीर्षक साबित करने में सफल हो जाता है, तो वादी/प्रतिवादियों के लिए बाद के मुकदमे को जारी रखने का कोई अवसर नहीं होगा।

8. इस पर पहले की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय अधिकार क्षेत्र की गंभीर त्रुटि की है और इसलिए, विवादित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और 24.11.2022 के आदेश को रद्द किया जाता है और प्रतिवादी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर 07.01.2022 की अर्जी को स्वीकार किया जाता है।

9. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

10. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान याचिका के निपटान के उद्देश्य से हैं और पक्षों के मामले की योग्यता पर टिप्पणी नहीं हैं और इससे किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

डीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।